

अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी (धनबाद)।


वाद संख्या-356/2016-17

पदाधिकारी का आदेश

अभ्युक्ति


10/8/2020 अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज जो मौजा-पण्डुवा थाना सं0-275 के गत सर्वे खाता 19 खेसरा-1597,1598,1908,2279 अंश रकबा -3.47 ए0 से संबन्धित है एवं गैर आबाद खाते की भूमि है, को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक- 21/8/2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।

21/8/2020 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेख में सुचीबद्ध है। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज द्वारा निर्धारित तिथि को अनुस्थित है। पूर्व में भी जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को नोटिस निर्गत किया गया था, जिस पर उनके द्वारा समय की मांग की थी, लगभग 3 वर्ष पश्चात भी उनके द्वारा अब तक उक्त से संबंधित कोई भी दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है। अंचल निरीक्षक से राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित चेक-लिस्ट का गहनतापूर्वक जांच कर स्पष्ट मन्तव्य की मांग करें।

अभिलेख दिनांक- 15/12/2020 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी
पूर्वी टुण्डी।


15/12/2020 अभिलेख उपस्थापित। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। संबन्धित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.7.20 एवं विभागीय सकल्प सं0-6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमाबंदी रद्द करने से संबन्धित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाचोपशान्त प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत मौजा-पण्डुवा थाना सं0-275 के

गत सर्वे खाता 19 खेसरा-1597, 1598, 1908, 2279 अंश रकबा -3.47 ए० भूमि का
कायम जमाबन्दी सं०-369 सदिग्ध प्रतीत होती है। उक्त गैर आबाद खाते का
भूमि का दिनांक 1.1.1946 से पूर्व का निबन्धित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्य
प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के
आधार पर बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-(4A) के
तहत जमाबन्दी पंजी-2 में कायम जमाबन्दी सं०-369 को रद्द करने हेतु अनुशंसा
के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखपित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी
पूर्वी दुण्डी।


अंचल अधिकारी
पूर्वी दुण्डी।